

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा का अधिकार

प्रलिस के लिये:

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (MEI), बच्चों का नशुलक' और अनविर्य शकषा का अधकलर (RTE) अधनलरनलतल 2009, डररतीड संवधलन के अनुकषेद 21A, अनुकषेद 29 और 30 के तहत संसुकृतकल एवं शैकुषकल अधकलर ।

डेनुस के ललतल:

अल्पसंख्यक शैकुषणकल संसुथरन (MEI) और बकुषुओं कल नशुलक' एवं अनविर्य शकषल कल अधकलर (RTE) अधनलरनलतल, 2009 के डलक संडंध ।

कुरकल डें कुषुओं?

हलल ही डें सरुवुकषु नुडरलडलड ने डदरसुओं और वैदकल सुकुलुओं (अल्पसंख्यक शैकुषकल संसुथरनु- MEI) कु बकुषुओं के नशुलक और अनविर्य शकषल के अधकलर (RTE) अधनलरनलतल 2009 के दलररे से डरहर करने डर सुवल उठरने वलली एक डरकुकल डर वकलर करने से इनकलर कुर दलतल है ।

- इन संसुथरनुओं कु वशुष रूड से अडसुत 2012 के संशुधन दवरलर अनविर्य शकषल के अधकलर (RTE) अधनलरनलतल, 2009 डें शलडलल कडल डडल डल ।
- **NCPDR** कल रडुलरुड डें अल्पसंख्यक संसुथरनुओं कल अनुडरतहीन संखुडल डल अल्पसंख्यक संसुथरनुओं डें डेर- अल्पसंख्यक वरुग के डुरडुतुव डर डुरकलश डललल डडल है ।

MEI और RTE के संडंध डें कलनुनी डुररवधलन:

- **अनुकषेद 21A के तहत शकषल कल अधकलर:** डल डररत के संवधलन के अनुकषेद 21(A) (86वें संशुधन) के तहत डररत डें 6-14 वरुष कल डलडु के बकुषुओं के ललतल नशुलक और अनविर्य शकषल के डहततुव के तुलर-तरीकुओं कल वरणन कुरतल है ।
 - अधनलरनलतल डें सडरक के वंकुतल वरुगुओं के ललतल 25% आरकषण अनविर्य है और वंकुतल सडुहुओं डें शलडलल है:
 - अनुसुकुतल डरतल और अनुसुकुतल डनडरतल
 - सलडरकल रूड से डकुषुडल वरुग
 - नःशकुतडन
- **डररतीड संवधलन के अनुकषेद 29 और 30 डें** अल्पसंख्यकुओं और **अल्पसंख्यकुओं** दवरलर संकललतल संसुथरनुओं के अधकलरुओं कु सुरकुषतल कुरने वलले डुररवधलन है ।
 - अनुकषेद 30 अल्पसंख्यकुओं कु अधकलर डुरदलन कुरतल है कलसडुी अल्पसंख्यक वरुगुओं कु अडनी रुकलकल शकुषण संसुथरनुओं कल सुथरडनल कुरने कल अधकलर हुगल ।
- अधनलरनलतल कल धरलर 1(4) और 1(5) के संदरुड डें आरटीई डें संशुधन कडल डडल ।
 - RTI अधनलरनलतल कल धरलर 1(5) डें कल डडल डल कल "इस अधनलरनलतल डें शलडलल कुई डुी डुररवधलन डदरसुओं, वैदकल डरतशलरलरुओं और डुररथडकल रूड से धररुडकल शकषल डुरदलन कुरने वलले शैकुषणकल संसुथरनुओं डर ललडु नही हुगल
 - आरटीई कल धरलर 1(4) डें कल डडल डल कल "संवधलन के अनुकषेद 29 और 30 के डुररवधलनुओं के अधलन इस अधनलरनलतल के डुररवधलन बकुषुओं कु डुडुत एवं अनविर्य शकषल कल अधकलर डुरदलन कुरने हेतु ललडु हुंगे ।

डरकुकलकुरतुतरलरुओं कल दललील:

- **डुरररडुडकल वरुषुओं डें धररुडकल डुरडरव से बकनल:** धरलर 1(4) और 1(5) इस डरत कु नरुधररतल कुरने डें वडलल है कल 6 से 14 वरुष कल डलडु के बकुषुे अडनी शकषल के डुरररडुडकल वरुषुओं डें है डल नही और इस तरह कल शकषल बकुषुओं के डन डें एक धररुडकल संडुकुतरथ (Religious Connotation) कु उतुडनुन कुर सकुतुी है ।
- **सडलन सुतर डुरदलन कुरनल:** सलडलनुड डरदुडकुरड और डरदुडकुरड कल शुरुआत से डुरतुडके बकुषुे कु डुवडुषुड कल कुनुतलरुतलरुओं के ललतल एक सडलन सुतर डर रखल डल सकेगल ।
 - कलसी बकुषुे कल अधकलर केवल डुडुत शकषल तक ही सीडलतल नही हुनल कलडुतल, डलकुडल इसे बकुषुे कल सलडरकल, आरथकल और संसुकृतकल

पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी वस्तुतः कठिनाई का सामना करना चाहिये।

- **संवैधानिक मूल्यों का पालन:** यह प्रस्तावना के लक्ष्यों, विशेष रूप से बंधुत्व, एकता और राष्ट्रीय एकता के रूप में निर्धारित महान स्वर्णमि लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्थक योगदान देगा।
- इसलिये न्यायालय वर्ष 2009 के अधिनियम की धारा 1(4) और 1(5) को मनमाना और तर्कहीन घोषित कर सकता है।

आगे की राह

- अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत दी गई छूट की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक संरक्षण के लिये अपने संस्थान खोलने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
 - हालाँकि इसे अनुच्छेद 21(A) का उल्लंघन नहीं करना चाहिये जो बच्चे की शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/minority-educational-institutions-and-right-to-education>

